न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 18/2016

GCMS CASE NO-2016/00005

1. तोलाराम पुत्र सुरजाराम जाति सुथार निवासी वार्ड न. 04, नया कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान। –अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सूरतगढ़ –रेस्पोडेंटगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री धर्मपाल सिहाग, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से
3. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से

दिनांकः–27.06.2023

:: **निर्णय** ::

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 03.06.2006 जिसके द्वारा अपीलांट का रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 379/1 की 1.518 व खसरा न. 379/2 की 0.240 है0 कुल 1.758 है0 बारानी भूमि का टीसी आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण में अपीलांट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 379/1 की 1.518 है0 व खसरा न. 379/2 की 0.240 है0 व खसरा न. 383/4 में 4.454 है0 इस प्रकार कुल 6.312 है0 बारानी भूमि संवत 2036 में टीसी आवंटन हुई थी। आवंटन की दिनांक से लेकर अपीलांट का कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है तथा अपीलांट रकम व मालकाना जमा करवाता आ रहा है। अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी है तथा पेशा काश्तकारी है व मौका पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट भूमिहीन श्रेणी का व्यक्ति है। अपीलांट उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूरा पूरा पात्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के रकबा को नगरपालिका क्षेत्र की सीमा यानि पैराफेरी क्षेत्र में मानकर तथा शर्तो का उल्लंघन बताकर अपीलांट का टीसी आवंटित रकबा खारिज कर दिया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की मिसल संख्या 1523/2011 में पारित निर्णय अनुसार ऐसी भूमियों का निर्णय करने का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की [illegible] अपील निर्णय खारिज किया जावे।
3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये [illegible] तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया [illegible] अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिहाग उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से पैरोकार राज तथा रेस्पोडेंट संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

2 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये। प्रार्थना पत्र पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट को विधिवत सुने बिना ही एक पक्षीय पारित किया है। अपीलांट दिनांक 17.03.2016 को अपने रकबा की खातेदारी हेतु गिरदावरी लेने के लिए पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी ने अपीलांट को टी सी आवंटित रकबा यथा खसरा न. 379/1 की 1.518 है0 व खसरा न. 379/2 की 0.240 है0 व खसरा न. 383/4 मे 4.454 है0 इस प्रकार कुल 6.312 है0 बारानी भूमि में से खसरा न. 379/1 की 1.518 है व खसरा न. 379/2 की 0.240 है0 कुल 1.758 है0 बारानी भूमि आराजी राज होना बताया। तब अपीलांट को जैर अपील आदेश की जानकारी हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील देरी से पेश नही की गई है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नही किया तथा एकतरफा तौर पर जैर अपील आदेश पारित कर दिया। कानूनी नजीर आर एल डब्ल्यू 2010 पेज न. 174 व आरआरडी 1999 पेज न. 346 पेश कर निवेदन किया कि यदि पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल नही हुए है तो मियाद, जानकारी की तिथी से मानी जानी चाहिए। अपीलाधीन आदेश प्राथमिकतः शून्य एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011 (2) पेज 1350, डीएनजे 2014 पेज 272, 689, डीएनजे राज. 2014 (3) पेज 1136, डीएनजे 2013 (4) एससी पेज 826 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि क्षेत्राधिकार विहीन निर्णयो की कोई मियाद नहीं होती। अतः प्रार्थनापत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

5. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का खण्ड़न करते हुए लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने यह अपील लगभग दस वर्ष पश्चात पेश की है जो पूर्णतया मियाद बाहर है। अपीलांट को जैर अपील आदेश की कार्यवाही का पूर्णतया ज्ञान था। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुना गया था। अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह सन्तोष जनक नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 1090, आर.आरटी 2015 (1) पेज 232, आर.आर.टी. 2002 पेज 33, आर.आर.टी. 2010 पेज 801 पेश कर निवेदन है कि देरी माफी योग्य नही है। अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जैर अपील आदेश की भली–भांती जानकारी थी। अपीलांट द्वारा जानबूझ कर लभगग 10 वर्ष पश्चात यह अपील पेश की गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित देरी का कारण सन्तोष जनक नहीं है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जावे।

7. हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट को ना तो विधिवत रूप से तामील हुई है, तथा ना ही अपीलांट्स को विधिवत रूप से सुना गया है। अपीलांट्स ने प्रार्थनापत्र में देरी का जो कारण बताया है वह भी संतोष जनक है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हम हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर करना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित समझते है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

8. तत्पश्चात गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को रोही करबा सूरतगढ़ के खसरा नं. 379/1 की 1.518 है0 व खसरा नं. 379/2 की 0.240 है0 व खसरा नं. 383/4 में 4.454 है0 इस प्रकार कुल 6.312 है0 बारानी भूमि संवत 2036 में टीसी आवंटन हुई थी। आवंटन की दिनांक से लेकर अपीलांट का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है तथा अपीलांट रकम व मालकाना जमा करवाता आ रहा है। अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी है तथा उसका पेशा काश्तकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगर पालिका की सीमा के 2 किलोमीटर की परिधि में मानकर खारिज कर दिया। जबकि अपीलांट का उक्त रकबा नगर पालिका की सीमा परिधि से काफी दूरी पर है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्व हो सके कि अपीलांट का रकबा नगर पालिका सीमा के 2 किमी की परिधि में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलांट द्वारा शर्तो का उल्लघंन करना बताया है। परन्तु अपीलांट द्वारा किन शर्तो का उल्लंघन किया है, यह अंकित नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की श्रेणी में नहीं आता है। माननीय राजस्व मण्ड्ल राजस्थान अजमेर ने अपने प्रकरण निगरानी/एलआर/कोलो/3478/2006/गंगानगर अनवान धन्ने सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 में यह अंकित किया है कि न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2003 पेज 162 व ए.आई.आर एससी 2005 पेज 1074 के मतानुसार रीजण्ड व स्पीकींग निर्णय आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैर अपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे, जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी कई अवसरों पर अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार टी.सी. आवंटन खारिज करने में सक्षम नहीं है। उक्त कथनों के समर्थन में वकील अपीलांट ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के प्रकरण निगरानी/एलआर/3995/2014/श्रीगंगानगर अनवान फुसाराम बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 25.04.2017, निगरानी/एलआर/कोलो/3478/2006/श्रीगंगानगर अनवान धन्ने सिंह (मृतक) जरिये शरबत कंवर आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017, निगरानी/एलआर/6410/2006/श्रीगंगानगर अनवान मोती सिंह बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018, निगरानी संख्या 2279/2011/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2018 तथा माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या एस.बी. सिविल रिट पेटीशन संख्या 9497/2018 अनवान पाबूदान बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू आदि में पारित निर्णय दिनांक 25.05.2022 की प्रतियां पेश की। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत वें स्थितियां दी गई जिनके तहत काश्तकारी का समापन किया जा सकता है। इन्हीं नियमों के तहत नियम (V) के आगे अंकित किया गया है कि "तो कलेक्टर पट्टे को कभी समाप्त कर सकेगा और इस के पश्चात ऐसी भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा"। इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्थाई काश्त खारिज करने की शक्तियां कलक्टर में निहित है ना कि तहसीलदार में। इस प्रकार अधीनस्थन्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया है जो क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है।

9. रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है, एक साल पश्चात समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत–RRD 1992 State of rajasthan vs Gulab chand [illegible] No- 431 अनुसार–A Lease of

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

Temporary cultivation automatically terminates at the end of the lease period-an heir to a deceased allottee can-not claim renewal thereof as a matter of right-he should apply for a fresh allotment for himself on merits. न्यायिक दृष्टांत-RRT 2018 (1) Page No 364 Ramlal vs state of rajasthan decided on 19th may 2017 के अनुसार A Lease for temporary cultivation come to an end automatically on expiry of the term of lease. न्यायिक दृष्टांत RRD 1995 Page No- 431 के अनुसार टीसी अवधि के समाप्ति के पश्चात स्वतः ही टीसी आवंटन निरस्त हो जाता है। अपीलांट टीसी आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। इसलिए न्यायिक दृष्टांत आरआरजे 1999 पेज 214 पेश कर निवेदन है कि अपीलांट को इस रकबा में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगें। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे जैर अपील रकबा पर उसका कब्जा साबित हो। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के नियम 23 अनुसार **"If there is any colonisation officer appointed under that title for the area in which the land is situated, the powers or functions conferred on the collector by these or any special conditions, shall be exercised by such officer, unless Goverment otherwise directs.** तथा आवंटन नियम 1955 के नियम 4 (ङ) अनुसार **" Colonisation Tehsildar" means the Revenue Officer- in charge of the Colonisation Tehsil in which the land is situated and includes an officer to whom the powers and functions of a Colonisation Tehsildar have been delegated.** उक्त नियमों के तहत जिला कलक्टर की शक्तियां तहसीलदार को दी गई हैं। तहसीलदार जिला कलक्टर की हैसियत से टीसी खारिज करने हेतु सक्षम है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार व अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही अपीलांट की टीसी खारिज की है जो नियमानुसार सही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे।

12. रेस्पोडेंट संख्या 02 ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि जैर अपील रकबा अपीलांट को टीसी आवंटन हुआ। आवंटन के पश्चात ना तो उक्त टीसी प्रति वर्ष नवीनीकरण हुई है तथा ना ही अपीलांट ने टीसी आवंटन की शर्तो की पालना की है। अपीलांट ने प्रति वर्ष रकम भी जमा नहीं करवाई है। अपीलांट का पेशा काश्तकारी है या नही यह भी साबित नहीं है। न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1992 पेज 431, आरआरटी 2018 पेज 364 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि टीसी आवंटन केवल एक साल के लिए ही आवंटन होता है। एक साल की समयावधि समाप्त होते ही टीसी आवंटन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1999 पेज 214 में उल्लेखित है कि **"Temporary allotment of land for cultivation creats no right in favour of the person to whom land was temporarily allotted."** अर्थात टीसी आवंटन से किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जैर अपील रकबा पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जमाबंदियों में शुरू से ही उक्त रकबा आराजी राज था अपीलांट के नाम से गिरदावरियों में अंकन नहीं है। सन् 2006 के पश्चात से यह रकबा नगरपालिका को हस्तांतरण हो चुका है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का कोई हित साबित नहीं होता है। टीसी आवंटन निरस्ती हेतु जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ को अधिकृत किया गया था। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के नियम 23 अनुसार **"If there is any colonisation officer appointed under that title for the area in which the is situated, the powers or functions conferred on the collector by these or any special conditions, shall be exercised by such officer, unless Goverment otherwise directs.** तथा आवंटन नियम 1955 के नियम 4 (ङ) अनुसार **" Colonisation Tehsildar " means the Revenue Officer-in charge of the Colonisation Tehsil in which the land is situated and includes an officer to whom the powers and functions of a Colonisation Tehsildar have been delegated.** उक्त नियमों के तहत जिला कलक्टर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

शक्तियां तहसीलदार को दी गई है। तहसीलदार जिला कलक्टर की हैसियत से टीसी आवंटन खारिज करने हेतु सक्षम है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार व अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही अपीलांट की टीसी खारिज की है जो नियमानुसार सही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे।

13. हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया एवं हस्तगत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। जिससे पाया कि अपीलांट को रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा न. 379/1 की 1.518 है0 व खसरा न. 379/2 की 0.240 है0 व खसरा न. 383/4 में 4.454 है0 इस प्रकार कुल 6.312 है0 बारानी भूमि दिनांक 11.06.1979 (संवत् 2036) को राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के तहत अस्थाई काश्त (टीसी) पर आवंटन हुई थी। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलांट का टीसी आवंटन संवत 2044 तक नवीनीकरण हुआ है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने जैर अपील निर्णय में अपीलांट का टीसी आवंटन 2061 तक नवीनीकरण होना अंकित किया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। अपीलांट को यह रकबा कभी भी पुख्ता आवंटन नही हुआ है। राज्य सरकार ने अनेकों बार टीसी पुख्ता आवंटन हेतु टीसी आवंटियों को अवसर दिये थे परन्तु अपीलांट ने पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 (1) पेज 373 सरजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह उल्लेखित है कि–

पैरा संख्या (iv) अनुसार–संवत 2030 के पश्चात भूमि का नवीनीकरण नहीं हुआ है किन्तु जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के परिपत्र दिनांक 20.06.1991 में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जो भूमि आरजी काश्त पर आवंटित है उसे यथावत उन्हीं व्यक्तियों के नाम नवीनीकृत किया जावे। इस परिपत्र में पूर्व के परिपत्र दिनांक 09.04.1988 का हवाला है, जिसमें भी आरजी काश्त पर आंवटित भूमि को यथावत उन्ही आवंटियों के नाम नवीनीकृत करने के निर्देश है।

पैरा संख्या (v) अनुसार–जिला कलेक्टर के परिपत्र दिनांक 23.07.1994 में यह निर्देश दिये गये है कि पूर्व में आरजी काश्त पर आवंटित भूमि के नवीनीकरण पर कोई पाबंदी नहीं है, किन्तु नये सिरे से रकबा राज आरजी काश्त पर आवंटित नहीं किया जावे। इस प्रकार पूर्व में आरजी काश्त पर आवंटित भूमि का नवीनीकरण किया जा सकता है, चाहे नये नवीनीकरण पर पावंदी लगी हो।

पैरा संख्या (vi) अनुसार– राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.04.1991 से भी इंगित होता है कि एक बार किसी को आरजी काश्त पर भूमि आवंटित हो जाने पर किसी कारण वंश नवीनीकरण नहीं होता है, तो उसे बेदखल नहीं किया जावे।

इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांतें में यह प्रतिपादित है कि एक बार किसी को आरजी काश्त पर भूमि आवंटित हो जाने पर किसी कारण वंश नवीनीकरण नहीं होता है, तो उसे बेदखल नहीं किया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 नगरपालिका सूरतगढ़ के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित हो चुका है, इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ की सूची, जिसके द्वारा पैराफेरी क्षेत्र में आने वाला रकबा नगरपालिका को हस्तांतरित किया है, में जैर प्रकरण रकबा शामिल है। राजस्व रिकार्ड में भी उक्त रकबा नगरपालिका के नाम से अंकित नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2042 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2042–2045 में भी उक्त रकबा अपीलांट के नाम से दर्ज है। इस संबंध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम (अस्थाई कृषि पट्टा शर्तें) 1955 के नियम (2)(i) अनुसार बारानी भूमि का मालकाना नहीं लिया जावेगा। पत्रावली में उपलब्ध रसीदों के अवलोकन से यह साबित है कि अपीलांट द्वारा संवत 2061 (वर्ष 2005) तक मालकाना राशि जमा कराई हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक [illegible].01.1987 में भी अंकित है कि अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

तोलाराम को जैर अपील बारानी भूमि संवत 2042 में टीसी आवंटन है, रकबा राज बेबाक है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने जैर अपील निर्णय में अपीलांट द्वारा शर्तो का उल्लंघन करना मानकर अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज किया है। परन्तु आवंटी द्वारा किन–किन शर्तो का व किस तरह से कब उल्लंघन किया है, यह अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने भी अपने प्रकरण निगरानी/एलआर/कोलो/3478/ 2006/गंगानगर अनवान धन्ने सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 में यह अंकित किया है कि न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2003 पेज 162 व ए.आई.आर एससी 2005 पेज 1074 के मतानुसार रीजण्ड व स्पीकींग निर्णय आवश्यक है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट का टीसी आवंटित रकबा वेस्टलैण्ड हेतु बने नियमों के अन्तर्गत खारिज किया है जबकि अपीलांट को उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्त, 1955 के तहत आवंटन हुआ था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2021 (1) पेज 680 में यह उल्लेखित है कि राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 एवं 08.02.2006 में यह स्पष्ट कर दिया है, कि यह परिपत्र किन–किन नियमों के तहत आवंटित भूमियों पर लागू होगा तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वैस्टलैण्ड हेतु निम्नांकित नियम बनाये गये है–

(अ) राजस्थान भू–राजस्व (निजी जंगलात विकसित करने हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम 1986

(ब) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि आधारित निर्यातोन्मुख उपज के प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1996

(स) राजस्थान भू–राजस्व (डेयरी कुकट और सूअर पालन हेतु आवंटन) नियम 1999

परन्तु अपीलांट को जैर अपील रकबा उक्त तीनों नियमों के तहत आवंटन नहीं हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का रकबा वेस्टलैण्ड नियमों के तहत खारिज कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा प्रिण्टैड फार्म पर रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांट का टीसी आवंटन खारिज करने की कार्यवाही की है, जो साईक्लोस्टाईल होने से समर्थन योग्य नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर अपील भूमि अपीलांट को टीसी आवंटन हुई थी, जो शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आने के कारण नवीनीकरण/खातेदारी नहीं दिये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। पैराफेरी क्षेत्र में स्थित पूर्व आवंटित भूमि का टीसी नवीनीकरण/खातेदारी अधिकार जारी किये जा सकते है। इस संबंध में पूर्व आवंटित भूमि पैराफेरी क्षेत्र में आने पर राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना कमांक प.9 (15)रेवे.6/2005–पार्ट/43 दिनांक 29.08.2007 द्वारा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम 1970 को और संशोधित करते हुए नियम 18 में संशोधन कर परन्तुक स्थापित किया है कि" यदि ऐसी भूमि आवंटन के समय अधिनियम की धारा 90–ख में यथा वर्णित नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमा के भीतर या परिधीय क्षेत्र के भीतर नहीं थी और तत्पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम या नगर परिषद के नगरीय क्षेत्र की नगर योग्य सीमा या परिधीय क्षेत्र में शामिल कर ली गयी हो तो खातेदारी अधिकार केवल राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए यथा अवधारित भूमि के बाजार मूल्य का 20 प्रतिशत सदाय करने पर प्रदत्त किये जायेंगें और भूमि के नगर बोर्ड की नगर योग्य सीमा या परिधीय क्षेत्र में तत्पश्चात सम्मिलित होने की दशा में, खातेदारी अधिकार, खण्ड आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से और जिला स्तरीय समिति द्वारा उस क्षेत्र के लिए अवधारित भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत का संदाय करने पर प्रदत्त किये जायेंगें।" आरआरटी 2021 (1) मूलचन्द बनाम स्टेट पेज 683 में भी यह उल्लेखित है कि–राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की अधिसूचना (दिनांक 9.10.2007, राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18.10.2007) क्रमांक एफ. 6(5[illegible]/बी/55 दिनांक 10.5.56, एफ.6(513) राज/बी/55 दिनांक 13.9.57, एफ.16(129) रा[illegible]/[illegible] दिनांक 21.1.1959 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर [illegible] कॉलोनी क्षेत्र [illegible] कर दिया, इससे स्पष्ट है कि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18.10.200[illegible] के बाद विवादित भूमि पर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14.12 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधान लागू होते है और भू–राजस्व अधिनियम के तहत खातेदार व गैर–खातेदार श्रेणी के ही काश्तकार होते है, अपीलाण्ट जो उपनिवेशन क्षेत्र में टी0सी0 आवंटी थे, वह अब भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैर–खातेदार श्रेणी के कृषक हो गये है और नियम 18 के तहत खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18.10.2007 से विवादित भूमि को उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर करने के पश्चात् राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.9 (77) रेवे–6/2008/15 दिनांक 31.05.2008 अनुसार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में यह परन्तुक जोड दिया गया है कि "व्यक्ति, जिसको भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में अस्थायी खेती पट्टा धारक या स्थायी आवंटिती के रूप में आवंटित की गयी थी और ऐसा क्षेत्र बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से अपवर्जित कर दिया गया था का 1–1–2001 से पूर्व उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा है, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान कृषि धृति पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अधीन लागू अधिकतम सीमा तक इन नियमों के अधीन खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का हकदार होगा।" हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार मूल आवंटी तोलाराम को जैर अपील रकबा संवत 2036 (दिनांक 11.6.1979) में टीसी आवंटन हुआ था, जो संवत 2045 तक नवीनीकरण है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया कि आवंटी द्वारा भू–राजस्व/मालकाना जमा करवाया जाता रहा है। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 23.08.1985 अनुसार संवत 2042 तक रकम बेबाक है तथा पत्रावली में उपलब्ध रसीदों अनुसार संवत 2061 (वर्ष 2005) तक मालकाना जमा हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2042 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2038–41, 2042–2045, 2053–56, 2057–60 में भी उक्त रकबा में अपीलांट का नाम दर्ज है। जिससे साबित है कि जैर अपील भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि दिनांक 1–1–2001 के बाद तक अपीलाण्ट्स के नाम नवीनीकरण होती रही और अपीलाण्ट से भू–राजस्व व मालकाना भी वसूल किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। जिसके नियम 18(1) के तहत आवंटन के उपरान्त तहसीलदार को तीन वर्ष की अवधि में स्वप्रेरणा से खातेदारी अधिकार प्रदान करना आज्ञापक है। अपीलांट उक्त नियम 18(1) के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके अतिरिक्त यह भूमि यदि पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर नगरीय सीमा या नगरपालिका के पैराफैरी क्षेत्र में आती है तो भी अपीलांट को खातेदारी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के पैराफेरी क्षेत्र में आने वाली भूमि के भी खातेदारी अधिकार जारी करने के आदेश प्रदान कर दिये गये है तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के नोटिफिकेशन दिनांक 13.05.2015 द्वारा जिला कलक्टर को इस बाबत अधिकृत कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार (भू0अ0) सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 03.06.2006 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली बाद तकमील तरतीब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.07.11 17:14:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner